

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(4)खा.वि./खा.सु.आ./2014

जयपुर दिनांक 08.08.2022

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013(वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 16 की उप-धारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 13(10)(4)खा.वि./खा.सु.आ./2013 दिनांक 10.03.2017 से गठित राजस्थान राज्य खाद्य आयोग में श्री वाजिब अली को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इनको किसी भी प्रकार के वेतन-भत्ते एवं आर्थिक परिलाभ (Pecuniary Benefits) देय नहीं होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(10)(4)खा.वि./खा.सु.आ./2014

जयपुर दिनांक 08.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
7. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष, सिविल सेवा अपील अधिकरण।
9. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त संभागीय, आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. समस्त विभागाध्यक्ष।
16. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
17. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर।
18. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
19. विभागीय एसीपी, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
20. रक्षा पत्रिका।

  
8/8/22

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव